झारखण्ड सरकार

वाणिज्य–कर विभाग

पत्र सं०– वा. क./विविध/5/13–1273 रांची, दिनांक– 28/2/13

प्रेषक,

मस्त राम मीणा,
सचिव–सह–आयुक्त

सेवा में,

अभियंता प्रमुख सभी ।
मुख्य अभियंता सभी ।

विषय :– वाणिज्य–कर विभाग द्वारा निर्गत अनापति प्रमाण पत्र (No Objection Certificate)/ स्वच्छता प्रमाण पत्र/ निबंधन प्रमाण पत्र के (JVAT 106) निविदा में अनिवार्यता के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वाणिज्य–कर विभाग को कतिपय ऐसे दृष्टांत मिले है जिसमें संवेदक द्वारा व्यक्तिगत शत प्रतिशत(Individual) निबंधन पर निर्गत अनापति प्रमाण पत्र (No Objection Certificate)/ स्वच्छता प्रमाण पत्र को संलग्न कर निविदा में भाग लिया जाता है जबकि निविदा कतिपय भिन्न नाम के अपने फर्म/कंपनी के नाम से निविदा डाला जाता है और भुगतान भी फर्म/कंपनी के नाम से प्राप्त किया जाता हैं। इन संवेदकों द्वारा वाणिज्य–कर विभाग में अपने नाम से निर्गत निबंधन प्रमाण पत्र के विरूद्ध विवरणियों को शून्य सकलावर्त दर्शा कराकर दाखिल किया जाता है, जबकि उनके फर्म द्वारा उस उक्त अवधि में संविदा के विरूद्ध भुगतान प्राप्त किया जाता है जिसका भिन्न पेन नंबर रहता है। ऐसा कर अपवंचना की दृष्टि से किया जाता है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि अनापति प्रमाण पत्र केवल भुगतेय बकाये के दृष्टिकोण से निर्गत किया जाता है जिसमें टिन एवं निबंधित फर्म का डिटेल आदि नहीं रहता है इसलिए No Objection Certificate के साथ JVAT 106 की अनिवार्यता आवश्यक है।

अतः अनुरोध है कि निविदा के कम में निविदादाता को स्वच्छता प्रमाण पत्र के साथ–साथ निबंधन प्रमाण पत्र (JVAT 106) अनिवार्य रूप से प्राप्त करे। ऐसा नियमानुकूल कार्रवाई नहीं करना कर अपवंचना में सहभागिता माना जायेगा। उक्त तथ्य से आप अपने अधिनस्थ पदाधिकारियों को भी अवगत कराना चाहेंगे।

विश्वासभाजन

28-2-13

(मस्त राम मीणा),
सचिव–सह–आयुक्त ।

झारखंड सरकार
जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक 6/जल०वि०-105-03/13 रांची दिनांक

प्रतिलिपि - प्रशासक सुवर्ण रेखा परियोजना आदित्यपुर जमशेदपुर/ अभियंता प्रमुख (सभी)/सभी मुख्य अभियंता (लघु सिंचाई सहित) जल संसाधन विभाग झारखंड को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
कृपया उपर्युक्त निर्देश का दृढ़तापूर्वक अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

संयुक्त सचिव (अभि०)

P.T.O.

ज्ञापांक 2966 / रांची दिनांक 3-6-13

प्रतिलिपि - वेब इनफोरमेशन मैनेजर, जल संसाधन विभाग झारखंड रांची को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
अनुरोध है कि इस परिपत्र को विभागीय Website पर upload करने का कष्ट करें।

01/6/13
संयुक्त सचिव (अभि०)

31.5.13